लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 272
21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग में महिलाएं

272. सुश्री एस.जोतिमणि:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तमिलनाडु के करूर और तिरुपुर जिलों में कपड़ा और परिधान क्षेत्रों, विशेषकर कताई मिलों, परिधान कारखानों और गृह-आधारित इकाइयों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनकी कार्य स्थितियों, मजदूरी, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) मातृत्व लाभ, कौशल विकास, क्रेच सुविधाओं और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रावधानों सहित कपड़ा क्षेत्र में महिला श्रमिकों की सहायता के लिए लागू की गई केंद्रीय योजनाओं या कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव इन जिलों में श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने, कार्य मानकों में सुधार करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सहायता देने के लिए लक्षित पहल शुरू करने या उनका विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में महिला श्रमिकों के हो रहे शोषण, मजदूरी की असमानता और सुरक्षा की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार, उद्योग संघों और ट्रेड यूनियनों के साथ वार्ता कर रहा है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): सरकार वस्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न जनगणना और सर्वेक्षण करती है, जैसे चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना, 2019-20, वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण आदि।ये वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं सहित रोजगार का अनुमान प्रदान करते हैं, जिसमें करूर और तिरुपुर भी शामिल हैं।

(ख):राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा नियमित आधार पर महिलाओं सहित कामगारों, के काम करने की परिस्थितियों, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का आकलन किया जाता है।

(ग) और (घ):सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (ईएसआईसी) का अध्याय-IV ईएसआई लाभों अर्थात मातृत्व लाभ, काम के घंटे, व्यावसायिक सुरक्षा और सभी क्षेत्रों में महिला कामगारों की भागीदारी पर कवरेज प्रदान करने वाले मौसमी कारखाने के अलावा प्रत्येक उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता में सुधार सहित वस्त्र और पारपंरिक क्षेत्र को सहयोग करने हेतु औद्योगिक विकास, क्लस्टर को मजबूत करने, कौशल

उन्नयन आदि को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल है:

1. समर्थ - समर्थ कौशल कार्यक्रमों विशेष रूप से गारमेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी निटवियर, हस्तशिल्प आदि के लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।समर्थ योजना के तहत, 5.3 लाख लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 88% लाभार्थी महिलाएं हैं।

2. हथकरघा क्षेत्र- हथकरघा बुनकरों (महिला हथकरघा बुनकरों सहित) को कच्ची सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रमुख योजना; आरएमएसएस परिवहन सब्सिडी (सभी प्रकार के यार्न), 15% मूल्य सब्सिडी और डिपो संचालन व्यय प्रदान करती है। इसके अलावा, महिला हथकरघा बुनकर पात्र लाभार्थियों के तहत कवर किए जाते हैं जिसमें व्यक्तिगत बुनकरों, एजेंसियों जिनमें बुनकर सदस्य होते हैं, अर्थात स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और सहकारी समितियां, हथकरघा उत्पादक कंपनी, बुनकर उद्यमी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदान किए गए कुछ विशेष प्रावधान हैं:-

 i. वस्त्र मंत्रालय और विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय के साथ साझेदारी में, यूएन वीमेन ने # सृजन की शुरुआत की, जो महिला कारीगरों के बीच नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है, जो एक वर्ष के भीतर पूरे भारत में 1000 महिला बुनकरों तक पहुंचने के लिए तैयार है, जिसकी पहली कार्यशाला 18.10.2025 को वाराणसी में आयोजित की गई।

 ii. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत वर्कशैड के निर्माण के लिए महिला बुनकरों को 100% सब्सिडी मिलती है। लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत 73% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।

 iii. हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल को केंद्रीकृत ऑनलाइन दावा संवितरण हेतु पंजाब नेशनल बैंक के साथ विकसित किया गया है, जिससे मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी शुल्क के लिए वित्तीय सहायता में देरी को कम किया जा सके।

 iv. दिल्ली हाट में महिला दिवस स्लॉट(दिनांक 1-15 मार्च, 2026) और पांच लखिया बुनकर दीदी स्लॉट (दिनांक 16-31 अगस्त, 2025)का आयोजन किया गया।

 v. देश भर में 30 महिला-नेतृत्व वाली उत्पादक कंपनियां और 15 महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप।

 vi. कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार विशेष रूप से महिला बुनकरों के लिएवर्ष 2016 से शुरू किया गया है, अब तक 14 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने श्रम को कम करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए महिला-अनुकूल नवाचार विकसित किए हैं, जैसे कि महिला-अनुकूल संचालन के साथ स्वचालित/मोटर चालित रीलिंग और कताई मशीनें, केंद्रीय योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और महिला एसएचजी का संवर्धन आदि।

(ङ): चार श्रम संहिताओं के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के साथ सुरक्षा का विस्तार करने के लिए एक औपचारिक फ्रेमवर्क शुरू किया गया था। नए श्रम संहिताओं का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में महिला कामगार कल्याण, मातृत्व लाभ, कार्य घंटों, व्यावसायिक सुरक्षा और भागीदारी को बढ़ाना है, जहां महिलाएं कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं।
